उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1976)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1976]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1976 के रूप में दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को उ0 प्र0 गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 को निरस्त करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1974 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है–

परन्तु ऐसे निरसन से,–

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रकाशन के, जो ऐसे प्रारम्भके पूर्व किया गया हो; या

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट माध्यम से, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व, प्रसारित कोई रिपोर्ट या सामग्री के, सम्बन्ध में सिविल या दाण्डिक, किसी कार्यवाही पर (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विचाराधीन हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात संस्थित या प्रारम्भ की जाय) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तद्नुसार ऐसी किसी कार्यवाही का निस्तारण उसी प्रकार किया जायगा, मानो उक्त अधिनियम का प्रवर्तन जारी हो और यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया हो।

———